भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 187
सोमवार, 25 नवंबर, 2024 / 4 अग्रहायण, 1946 (शक)

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना का सूत्रीकरण

187. श्री तनुज पुनिया:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी योजना 'मनरेगा' की तर्ज पर शहरों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना बनाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हां, तो लाभार्थियों के साथ-साथ ऐसे लाभों से वंचित लोगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बड़ी संख्या में असंगठित श्रमिक ऐसे उद्योगों में काम कर रहे हैं जहां श्रम कानून लागू नहीं होता है; और
(घ) क्या सरकार का इसके लिए विशेष विधि निर्माण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, सरकार (i) जीवन और अपंगता कवर (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा (iii) वृद्धावस्था संरक्षण; और (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कोई लाभ से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं तैयार कर दिहाड़ी श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यूडब्ल्यूएसएस अधिनियम, 2008 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित कर लिया गया है।

जीवन और निःशक्तता कवर क्रमशः प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति पात्र परिवार 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य

योजना (एबी पीएम-जेएवाई) को 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों तक बढ़ा दिया है।

वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना की शुरुआत की। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3000/- रु. का मासिक पेंशन प्रदान किया जाता है। वे कामगार जो 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के हैं जिनका मासिक वेतन 15000/- रुपए या कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्तपोषित) के सदस्य नहीं हैं, पीएम-एसवाई एम योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय है और समान मैचिंग अंशदान केंद्र सरकार द्वारा देय है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एनआरईजीएस) मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जिसमें प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल/शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि का प्रावधान है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, अन्य योजनाएं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, पीएमस्वनिधि, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) इत्यादि उनकी पात्रता मानदंडों के आधार पर असंगठित कामगारों के लिए भी उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से और असंगठित कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं/कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने की सुविधा के लिए अगस्त, 2021 में ईश्रम पोर्टल की शुरुआत की है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ईश्रम-“वन-स्टॉप-सोल्यूशन” की अब शुरुआत की है। ई-श्रम- "वन स्टॉप-सॉल्यूशन" में एकल पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का एकीकरण शामिल है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर देखने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, कामगार ई-श्रम - वन स्टॉप सॉल्यूशन पर मनरेगा जॉब कार्ड, पीएमएवाई-जी स्टेटमेंट, पीएम-एसवाईएम स्टेटमेंट, राशन कार्ड विवरण, एनसीएस रोजगार के अवसरों की खोज आदि देख सकेंगे।

*****